न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1.श्री जितेन्द्र पटेल पुत्र चंदारामजी, जाति-घांची, निवासी-सिरोही, तह. व जिला- सिरोही
2.श्री सुरेशकुमार पुत्र मानारामजी, जाति-घांची, निवासी-पालडी एम. तहसील-शिवगंज

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 12/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 25 सितम्बर, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 72/2019 में पारित निर्णय दिनांक 10.1.2020 बाबत ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 2567 रकबा 0.032 हेक्टेयर किस्म गोचर भूमि का अपीलार्थीगण को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को विवादित भूमि का अतिचारी घोषित करते हुए जुर्माना आरोपित करने एवं मौके से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। यह कि अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि को पूर्व खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था व उसके बाद तारबंदी कर कब्जा किया था। उस समय हल्का पटवारी द्वारा कोई एतराज नही किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा तारबन्दी करवाने के काफी समय बाद उस पर निर्माण करने पर भी अपीलार्थीगण को निर्माण कार्य करने से नही रोका गया है। अपीलार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य करने के बाद हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर खातेदारी भूमि को गोचर भूमि होना बताकर अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमण बाबत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थिति दी गई व जवाब तथा साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:03:55 IST
Reason: SelfAttested

बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। यह कि अपीलार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय व हल्का पटवारी ने सीमाज्ञान करवाये बिना ही खातेदारी भूमि को गोचर भूमि बताकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत गलत कार्यवाही कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, पाडीव द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थीगण को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अत: अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, पाडीव द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 2567 रकबा 0.3200 हेक्टेयर किस्म गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने, बोरवेल व काश्त करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को विवादित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से बचाव में जवाब व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गोचर है तथा अपीलार्थीगण द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

25/09/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:03:55 IST
Reason: SelfAttested